

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड नर्सिंज एण्ड मिडवाइज्ज कौंसिल,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
मझोन, पौधा वाया-प्रेम नगर, देहरादून।

पत्रांक : न.कौ./श्री देवभूमि/नर्सिंज/05/2020/1317

दिनांक 20 नवम्बर, 2020

विषय : श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी मझोन, पौधा वाया-प्रेम नगर, देहरादून के नर्सिंज प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 को उत्तराखण्ड नर्सिंज एण्ड मिडवाइज्ज कौंसिल से अनुमति/मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

आपके प्रशिक्षण संस्थान के अर्न्तगत संचालित निम्न नर्सिंज पाठ्यक्रम को उत्तराखण्ड नर्सिंज एण्ड मिडवाइज्ज कौंसिल से वर्ष 2020-21 सत्र हेतु अनुमति/मान्यता निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित सीट संख्या
1	बी०एस०सी० नर्सिंज	40 (Forty)


- संस्थान को उपरोक्तानुसार निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- संस्थान को उक्त निर्धारित सीटों में प्रवेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा।
- भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के निरीक्षण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारतीय उपचर्या परिषद् से सम्पर्क स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- संस्थान को पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त की जानी होगी।
- संस्थान का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। यदि निरीक्षण में कमियां पायी जाती है, तो अनुमति/सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- प्रशिक्षण संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/आदेश प्राप्त होंगे वे स्वतः ही आपके संस्थान पर लागू होंगे एवं मान्य होंगे।
- उक्त नर्सिंज पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं अनिवार्य होगी।
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिये जाने से पूर्व प्रशिक्षणार्थियों के शैक्षिक योग्यता की उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा निदेशालय से समकक्षता का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।
- भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के मानकानुसार टीचिंग फैकल्टी 1:10 के अनुपात में तथा उत्तराखण्ड नर्सिंज एण्ड मिडवाइज्ज कौंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

कृ०पृ०उ०

11. संस्थान को सामुदायिक केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मानसिक चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी एवं दो माह के अर्न्तगत उक्त सूचना कौंसिल कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।
12. संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के मानकानुसार चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
13. संस्थान को न्यूट्रेशन लैब को पूर्ण सुसज्जित किया जाना होगा तथा उक्त सूचना कौंसिल कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।
14. संस्थान में 01 नर्सिंग ट्यूटर की तैनाती दो माह के अर्न्तगत करते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी।
15. प्रत्येक वर्ष मान्यता/अनुमति हेतु निर्धारित शुल्क उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्स कौंसिल कार्यालय में वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/मई में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

संस्थान को उक्त निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तों का पालन किये जाने पर ही वर्ष 2020-21 हेतु शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु अनुमति होगी।

भवदीय



(राम कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार

तददिनांकित।

पत्रांक : न.कौ./श्री देवभूमि/नर्सिंग/05/2020/

प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ प्रेषित—

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107 चन्दर नगर, देहरादून।
3. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवों तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट न. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020।


(राम कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार